Title: Need to develop Hindi as national language for all practical purposes.

श्री मंज्य लाल (सम्स्तीपुर) : महोद्य, देश को स्वतंत्र हुए पचास र्वा से अधिक और संविधान लागू हुए पचास र्वा हो गए हैं। हिन्दी को राट्रभाा घोति किया गया लेकिन उसे राट्रभाा के रूप में प्रतिठित करने के प्रयास नहीं के बराबर हुए। जो हुए वे करीब-करीब विफल हो गए। संयक्त राट्र संघ में जो छः भााएं मान्यता प्राप्त हैं वे हैं - चीनी, अरबी, अंग्रेजी, रूसी,फ्रांसीसी और स्पेनिश। विश्व की आबादी का छठा हिस्सा होते हुए भी हमारे देश की भाा संयुक्त राट्र संघ की भााओं में नहीं है। अधिकांश देश विश्व के अन्य देशों के साथ अपनी राट्रभाा में राजकीय और शासकीय व्यवहार करते हैं पर हम पिछले पचास र्वों में विश्व के अन्य देशों के साथ राजकीय और शासकीय व्यवहार हिन्दी में न कर अंग्रेजी में ही करते रहे हैं।

हिन्दी को संविधान में राट्रभाा कहने के साथ यह भी कहा गया था कि अंग्रेजी का उपयोग पन्द्रह साल तक थोड़ी सुविधा के लिए देश के अन्तर्गत प्रशासन में स्वीकृत होगा। अब बहुत समय गुजर गया।

अतः मैं भारत सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि अब तक जो विलम्ब हुआ सो हुआ अब शीघ्र से शीघ्र ऐसा कदम उठाये जिससे हिन्दी केवल संविधान में ही राट्रभाा नहीं रहे बल्कि व्यवहार में भी राट्रभाा के रूप में कार्य करे।